उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2021

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या– वर्ष, 2021)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1959) (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 173 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (जिसे इसके आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 173 की उपधारा (2) के परन्तुक को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

" किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्पत्ति कर के अन्तर्गत सामान्य कर की दर वार्षिक मूल्य के 0.01 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के मध्य होगी तथा पूंजीगत मूल्य आधारित सम्पत्ति कर प्रारम्भ होने के आगामी 5 वर्षों में किसी भी दशा में ठीक पूर्व के वर्ष में निर्धारित कर से कम अथवा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तत्पश्चात अनुवर्ती वर्षों में सम्पत्ति कर में प्रतिवर्ष वृद्धि की अधिकतम दर नियमावली में विहित रीति से तय की जायेगी:

परन्तु, यह भी कि पूंजीगत मूल्य आधारित सम्पत्ति कर का निर्धारण प्रत्येक वर्ष में एक बार किया जायेगा तथा एक अप्रैल को प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर ही पूर्ण वर्ष का सम्पत्ति कर निर्धारित किया जायेगा।"

धारा 174 का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 174 को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"174. "वार्षिक मूल्य" की परिभाषा– "वार्षिक मूल्य" से तात्पर्य है–

भवन या भूमि या दोनों जैसी भी स्थिति हो का पूँजीगत मूल्य जो कि भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल या दोनों जैसी भी स्थिति हो, को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रयोजनार्थ कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट/निर्माण की दर जो प्रचलन में हो, से गुणा करने पर प्राप्त मूल्य।"

धारा 207 का प्रतिस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा 207 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः–

" 207. नगर आयुक्त समय–समय पर नियमावली में विहित रीति के अनुसार नगर या उसके किसी भाग में निर्धारण सूची तैयार कराएगा।"

धारा 207 ख का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 207 ख की उपधारा (1) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः–

"(1) वार्षिक मूल्य के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक भवन या भूमि का स्वामी या अध्यासी ऐसे दिनांक तक जैसा विहित किया जाए एक सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करेगा।"

धारा 210 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 210 की उपधारा (1) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः–

" (1) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी यथास्थिति, नगर या उसके किसी भाग की निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित करेगा।"

निरसन और व्यावृत्ति

7. (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959)(संशोधन) अध्यादेश 2021 (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं0 01 सन् 2021) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

Statement of objects and reasons

The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959) (Amendment) Ordinance, 2021 has been brought by State Government with the objective to make amendment in previous provision related to property tax of Municipal Corporation.

2 – Proposed bill is replacing bill of aforesaid ordinance.

3 – Proposed bill fulfills the aforesaid objectives.

Madan Kaushik
Minister

The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporations Act, 1959) (Amendment) Bill, 2021

[Uttarakhand Bill No. of 2021]

A

Bill

Further to amend the Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act,1959) (Adaptation and modification order,2002) in the context of the State of Uttarakhand,

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy-Second Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement	1.	(1)	This Act may be called the Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959) (Amendment) Act, 2021.
		(2)	It shall come into force at once.
Amendment of Section 173	2.		The proviso to sub section (2) of section 173 of the Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act,1959) (Adaptation and Modification Order, 2002) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall be substituted as follows,namely: - "Provided that the rate of general tax under property tax shall be between 0.01 percent and 1 percent of annual value and in the next five years from the commencement of capital value based property tax, the tax in any case shall not be less than the tax assessed in the immediately preceeding year or more than five percent of the tax assessed in the immediately preceeding year; thereafter in the subsequent years, maximum rate of per year increase in property tax shall be decided in the manner prescribed in the rules: Provided also that assessment of capital value based property tax shall be done once in a year and property tax for complete year shall be assessed on the basis of circle rate prevailing on first April."

Substitution of Section 174	3.	Section 174 of the Principal Act shall be substituted as follows, namely: - "174. Definition of "Annual Value"- "Annual value" means- Capital value of building or land or both, as the case may be, which is arrived at on multiplying the covered area of the building or area of land or both,as the case may be, with the prevailing circle rate /construction rate fixed by the Collector for the purposes of Indian Stamp Act 1899."
Substitution of Section 207	4.	Section 207 of the Principal Act shall be substituted as follows, namely: - " 207. The Municipal Commissioner shall cause an assessment list in the city or part thereof, to be prepared from time to time, in accordance with the manner prescribed in the rules."
Amendment of section 207 B	5.	Sub Section (1) of Section 207 B of the Principal Act shall be substituted as follows, namely: - " (1) For the purposes of annual value, the owner or the occupier of every building or land shall submit a property return upto a date as may be prescribed."
Amendment of section 210	6.	Sub Section (1) of Section 210 of the Principal Act shall be substituted as follows, namely: - " (1) The Municipal Commissioner or an officer authorized by him in this behalf, shall authenticate by his signature, the assessment list of the city or any part thereof, as the case may be."
Repeal and Saving	7.	(1) The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959) (Amendment) Ordinance 2021 (Uttarakhand Ordinance No. 01of 2021) is hereby repealed. (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

खण्ड वार विवरणों का ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड़ (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अध्यादेश, 2021 का प्रतिस्थानी विधेयक मात्र है।

2– विधेयक के खण्ड–1. में विधेयक का संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

3– विधेयक के खण्ड–2. में धारा 173 में संशोधन प्रस्तावित है।

4– विधेयक के खण्ड–3. में धारा 174 में संशोधन प्रस्तावित है।

5– विधेयक के खण्ड–4. में धारा 207 में संशोधन प्रस्तावित है।

6– विधेयक के खण्ड–5. में धारा 207ख में संशोधन प्रस्तावित है।

7– विधेयक के खण्ड–6. में धारा 210 में संशोधन प्रस्तावित है।

मदन कौशिक
मंत्री

विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजित ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अध्यादेश, 2021 का प्रतिस्थानी विधेयक मात्र है।

2– प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र निहित है।

मदन कौशिक
मंत्री

Statement of Objective and reasons

To encourage the development of the State as an education hub and to promote private sector participation in the field of higher education, it is decided that in Navgaon, Manduwala, Dehradun a private University named 'Dev Bhoomi Uttarakhand University', sponsored by Uttarakhand Uthan Samiti, is to be established. The aim of the said University is to provide innovation of education, new method of teaching and learning and for the overall development of personality, to provide education to the socially and economically deprived class, to promote state related research programmes and to provide employment resources.

2- Proposed bill fulfills the above objectives.

Dr. Dhan Singh Rawat
Minister